19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक–3759–तीन–2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भग–रीवा प्र0कमांक–1019/अपील/06–07

.....

1–महेन्द्र प्रसाद पिता स्व. रामकिशोर वर्मा
2–मुस. रामवती पत्नी स्व. रामकिशोर वर्मा
दोनों निवासी ग्राम सिरमौर, तहसील–जिला रीवा म0प्र0 ।

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1–सद्दीक खॉ पिता अल्फात खॉ
2–रामाश्रय पिता मुन्नालाल वर्मा
3–रामफल पिता मुन्नालाल वर्मा
समस्त निवासी ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा ।

–––––अनावेदकगण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17.09.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्र.क.–1019/अपील/06–07 पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमों एवं अपर आयुक्त के आदेश में लिखे अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 ने अना. कमांक–2,3 से सर्वे कमांक–2162 रकवा 0.364 एकड़ सर्वे कमांक–2163 से रकवा 0.02 एकड़ एवं सर्वे कमांक–2164 से रकवा 0.174 है0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर दिनांक–5.12.05 को तहसीलदार के न्यायालय से नामांतरण पंजी कमांक–74 पर नामांतरण आदेश कराया । इस आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत

हुई, जिसमें तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक–19.6.07 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया ।

3– प्रकरण में आवेदक अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना गया । उक्त वर्णित परिस्थितियों में आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं को दुहराते हुए निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस विषय में दो अलग–अलग प्रकरण लंबित रहे हैं, जिनमें से एक प्रकरण कमांक–1019/अपील/06–07 की आदेश पत्रिका दिनांक–30.10.12 में दोनों प्रकरण एक साथ रखे जाने का आदेश दिया गया था । इसके बाबजूद अपर आयुक्त द्वारा इसी प्रकरण क0–1019/अपील/06–07 में 11.6.14 को अलग आदेश पारित करना उचित नहीं है । इसके साथ ही उन्होने इस प्रकरण की कायमी हेतु निवेदन किया ताकि अपर आयुक्त द्वारा दोनों प्रकरण साथ–साथ सुने जाएं । तर्को में बताए गये शेष तथ्य निगरानी मेमों में अंकित होने से पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त निगराकार ने दो प्रकरण साथ–साथ सुने जाने की बात उठाई है जिसकी आवश्यकता अपर आयुक्त द्वारा अक्टूवर 2012 में निगराकार के बताए अनुसार आंकी गयी थी, जिसके 1 वर्ष 8 माह बाद उनके द्वारा इस प्रकरण में 11.6.14 को आदेश पारित किया गया हैं ।

4– मेरे द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं का भी अध्ययन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । जहां तक इस प्रकरण की विषयवस्तु की बात है, निगराकार 1 एवं 2 जो कि अपर आयुक्त के समक्ष रिस्पो. 1 व 2 थे एवं एस.डी.ओ. के समक्ष अपीलार्थी थे, का विवादित भूमि से क्या संबंध है या नहीं है, के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि एस.डी.ओ. द्वारा भी अपने आदेश में इनके विवादित भूमि से संबंध का खुलासा नहीं किया गया है । निगराकारों ने इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी मेमों के पैरा–5 में अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि से संबद्ध होने की बात उठाई है । निगराकार ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमों के पैरा–8 में यह लिखा है कि दूसरे प्रकरण कमांक–23/अ–6–अ/06–07 दिनांक–16.2.15 को रिकार्ड तलबी हेतु नियत था किन्तु उसे प्रकरण कमांक–1019 के साथ लिक किए बगैर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक–1019 में आदेश पारित कर दिया गया है, जिससे निगराकारों के हित प्रभावित हुए है ।

5– मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं तर्को पर गहन विचार के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि अपर आयुक्त को अपने अपील आदेश दिनांक–11.6.14 पारित करने के पूर्व समस्त पक्षकारों को सुनवाई

का पूर्ण अवसर देते हुए अपने आदेश में उनके हितों के होने या नहीं होने का एवं हित होने पर उन हितों की डिटेल्स का पूर्ण उल्लेख करना चाहिए था, एवं उसके आधार पर स्पष्ट एवं सम्पूर्ण निर्णय देना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । ऐसा हो जाने से न्यायिक व्यवस्था के समग्र उद्देश्य सेवित नहीं हो पाए हैं ।

7– ऐसी दशा में मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक–1019/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक–11.6.14 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक–1019/अपील/06–07 पुनः खोले एवं समस्त पक्षकारों को उनका पक्ष समर्थन करने का पूर्ण अवसर देने के उपरांत प्रत्येक पक्षकार के हितो के संबंध में अपना स्पष्ट निर्णय समस्त कारण एवं आधार अभिलिखित करते हुए अपने अपील आदेश में सम्मिलित करें । यदि किसी अन्य प्रकरण को साथ में सुनने या लिंक करने का अनुरोध किसी पक्षकार द्वारा किया जाए, या ऐसा करने की आवश्यकता अपर आयुक्त को स्वयं महसूस हो, तो वे इस संबंध में भी न्यायहित में कारण एवं आधार अभिलिखित करते हुए निर्णय लें ।

प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

17.09.2015

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मय प्रदेश,ग्वालियर,